

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 18, सोमवार, १९४७- मार्च 09, 2026 Phalguna 18, Monday, Saka 1947- March 09, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 12, 2025

संख्या प. 2(3)वन/2025 :- चूँकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 29, उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूँकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जाँच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूँकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है;

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/असिस्टेंट फोरेस्टर सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती हैं, तथा ऐसी जाँच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आवेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया

जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)/

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा है० में
1	2	3	4	5	6		
1	औण्ड 'ए'	मण्डरायल	करौली	उत्तर-काश्त भूमि पूर्व-वनभूमि (वनखण्ड औण्ड) दक्षिण-काश्त भूमि पश्चिम-काश्त भूमि	मुरीला	60 78	4.7803 0.3667
					योग		5.147

हस्ताक्षर

अरूण सोनी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मण्डरायल।

हस्ताक्षर

सुमित बंसल,
उप वन संरक्षक,
करौली।

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

क.सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1.	<i>Acacia catechu</i>	खैर
2.	<i>Acacia nilotica</i>	देशी बबूल
3.	<i>Anogeissus pendula</i>	धोंक

हस्ताक्षर

अरूण सोनी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मण्डरायल।

हस्ताक्षर

सुमित बंसल,
उप वन संरक्षक,
करौली।

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमात्र-पत्र

वन खण्ड - औण्ड 'ए' (5.147 हैक्टर)

रेंज - मण्डरायल

वनमण्डल - करौली

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर मुमकिन पहाड़ वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति के कैलम संख्या 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।
2. उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 कि तहत प्रत्यावर्तन प्रकरण **चम्बल सवाई माधोपुर नादौती पेयजल परियोजना** के बदले प्राप्त हुई है।
3. इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
4. वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियों में धोंक, देशी बबूल एवं खैर है। वन खण्ड में प्रमुख प्रजाति धोंक है।
5. समिपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सिवायचक बंजड व वन भूमि है। चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कैलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्ड के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दर्शाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शों में लाल स्याही से इंगित किया गया है प्रस्तावित क्षेत्र को जीटी शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी रूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे की इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

अरुण सोनी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मण्डरायल।

हस्ताक्षर

सुमित बंसल,
उप वन संरक्षक,
करौली।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।